

मध्य प्रदेश शासन

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005
के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित
विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण

जयंत मलैया
वित्त मंत्री

वर्ष 2014-15

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	I
2	वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण; प्ररूप एफ -1	1
3	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; प्ररूप एफ-2	8
4	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण; प्ररूप एफ-3	18
5	राजकोषीय स्थिति के चयनित सूचकों का विवरण; प्ररूप एफ-4	23
6	राज्य सरकार के दायित्वों के घटक तथा दायित्वों पर ब्याज लागत/ निक्षेपों की गतिशीलता का विवरण; प्ररूप एफ-5	24
7	संचित निक्षेप निधि विवरण; प्ररूप एफ-6	26
8	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण; प्ररूप एफ-7	27
9	प्रत्याभूति विमोचन निधि पर एक विवरण; प्ररूप एफ-8	28
10	वित्तीय आस्तियों का विवरण; प्ररूप एफ-9	29
11	राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर) का विवरण; प्ररूप एफ-10	30
12	राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे का विवरण; प्ररूप एफ-11	31

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियम, 2006 क्रमशः एक जनवरी 2006 एवं तीस जनवरी 2006 से प्रभावशील है।

अधिनियम की धारा 5 सहपठित नियम 3, 4, 5, एवं 7 के अन्तर्गत, राज्य शासन द्वारा, विधान सभा के समक्ष, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेम वर्क स्टेटमेन्ट), मध्यम कालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति युक्ति एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विधानसभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

जयंत मलैया,
वित्त मंत्री

जुलाई, 2014

प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

वृहद् आर्थिक रुपरेखा विवरण (मैक्रो इकॉनामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट)

क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार-

1.1 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 1.1 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.1

अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	अखिल भारतीय		मध्यप्रदेश	
	2004-05	2012-13 त्वरित अनुमान	2004-05	2012-13 त्वरित अनुमान
प्राथमिक	19.03	13.95	27.66	26.16
द्वितीयक	27.93	27.27	27.15	27.82
तृतीयक	53.05	58.78	45.19	46.02

1.2 वर्ष 2004-05 से 2012-13 की अवधि में अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर अर्थ व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इस अवधि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.03 प्रतिशत से घटकर 13.95 प्रतिशत हो गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 53.05 प्रतिशत से बढ़कर 58.78 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि में मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 27.66 प्रतिशत से घटकर 26.16 प्रतिशत हुआ है जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान 45.19 प्रतिशत से बढ़कर 46.02 प्रतिशत हो गया है।

1.3 वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 3.80 प्रतिशत था जो वर्ष 2012-13 (त्वरित अनुमान अनुसार) में बढ़कर 3.92 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में

जहाँ 4.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 9.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विगत पाँच वर्षों (2008-09 से 2012-13) के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.68 प्रतिशत रही है।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पादन / वृद्धि

- 2.1 वर्ष 2012-13 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) के त्वरित अनुमान अनुसार जी. एस. डी. पी. में स्थिर भावों (आधार वर्ष 2004-05) पर गत वर्ष की तुलना में 9.89 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- 2.2 मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 की अवधि में 8.51 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रवृत्ति रेखा आधार पर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 8.10 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2012-13 में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 18.63 प्रतिशत, 5.48 प्रतिशत तथा 8.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.1
स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2011-12 (प्रावधिक अनु.)	वर्ष 2012-13 (त्वरित अनु.)	वर्ष 2012-13 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
कृषि (पशुपालन सहित)	43199.97	51908.62	20.16
वानिकी	3811.24	3879.65	1.79
मछली उद्योग	338.27	382.37	13.04
खनन तथा उत्खनन	7227.98	7922.09	9.60
विनिर्माण	23588.08	24008.26	1.78
निर्माण	20736.51	22608.56	9.03
विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति	5089.64	5207.77	2.32
रेल्वे	2638.04	2661.37	0.88
अन्य साधनों से परिवहन एवं भंडारण	6132.25	6793.20	10.78
संचार	5384.83	5450.66	1.22
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	23826.99	25425.91	6.71
बैंकिंग एवं बीमा	13989.84	15433.95	10.32
रीयल स्टेट	13690.42	14449.96	5.55
लोक प्रशासन	9208.85	10160.03	10.33
अन्य सेवायें	16545.91	18448.48	11.50
योग	195408.82	214740.88	9.89

2.3 2004-05 से 2012-13 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था का विकास निम्नानुसार रहा है।

चित्र



2.4 वर्ष 2012-13 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 372170.66 करोड़ है। इसमें पिछले वर्ष के प्रावधिक अनुमान की तुलना में 19.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

3.1 वर्ष 2012-13 में, ₹ 6420.12 करोड़ राजस्व आधिक्य के पुनरीक्षित अनुमानों के विरुद्ध, लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य ₹ 7458.75 करोड़ रहा। इसी तरह राजकोषीय घाटा ₹ 10435.50 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध लेखा अनुसार ₹ 9420.29 करोड़ रहा। वर्ष 2013-14 में राजस्व आधिक्य, ₹ 5214.83 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर ₹ 6873.83 करोड़ होना संभावित है। राजकोषीय घाटा ₹ 12218.53 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में ₹ 11628.85 करोड़ होना

संभावित है जो मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत) के भीतर है।

3.2 वर्ष 2012-13 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 70427.98 करोड़ है जो पुनरीक्षित अनुमान ₹ 71728.51 करोड़ से कम है। इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से तथा केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत कम राशि प्राप्त होना है। वर्ष 2013-14 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 80497.16 करोड़ है जो बजट अनुमान ₹ 79603.47 करोड़ से 1.1 प्रतिशत अधिक है। पुनरीक्षित अनुमान में राज्य के कर एवं करेतर राजस्व संग्रहण में सुधार होने से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है।

3.3 वर्ष 2012-13 में करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 7000.22 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 7516.55 करोड़ से कम है। यह कमी वन तथा खनिज से संबंधित राजस्व संग्रहण में सम्मिलित उपकर को कर राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के कारण परिलक्षित है। वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार करेतर राजस्व ₹ 8139.06 करोड़ प्राप्त होना संभावित है, जो बजट अनुमान 2013-14 ₹ 7583.39 करोड़ से 7.33 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश व लाभ, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगार मदों में अधिक प्राप्तियों के कारण परिलक्षित है।

4. संभावनाएं-

4.1 एक सक्रिय उद्योग नीति तथा कृषि हेतु प्रगतिशील योजना बनाकर कार्य करने से राज्य की अर्थव्यवस्था के निरंतर तेजी से तथा उच्च स्तर पर बने रहने की पूर्ण संभावना है। वर्तमान प्रमाणों के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि केन्द्रीय करों

की वसूली लक्ष्य से कम हुई है, जिससे केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की बढ़ोतरी की दर प्रभावित हो सकती है।

- 4.2 प्रदेश में भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना को विकसित करने के लिए हुए निवेश के परिणाम राज्य सकल घरेलू उत्पाद में हो रही लगातार वृद्धि के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं।
- 4.3 वर्ष 2012-13 में कृषि (पशुपालन सहित) क्षेत्र में 20.16 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे राज्य की आर्थिक विकास दर सुदृढ़ हुई है।
- 4.4 प्रदेश में वर्ष 2012-13 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में 9.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
- 4.5 मध्य प्रदेश को 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं अंतर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 3562.29 करोड़ का अनुदान प्राप्त होने की संभावना है ।
- 4.6 राज्य के राजकोषीय घाटे का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत वर्ष 2012-13 में मात्र 2.6 रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रही है। वर्ष 2012-13 के लिये बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.00 प्रतिशत के आधार पर रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इस सीमा को 2.98 प्रतिशत रखा गया है तथा पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

ख. चयनित राजकोषीय सूचकों में रुख-

(₹ करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2012-13	2013-14 (पु.अ.)	2014-15 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	70427.28	80497.16	103493.16	14.30	28.57
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	51386.86	56643.95	66671.11	10.23	17.70
2.1	राज्य कर	30581.70	33928.68	38989.88	10.94	14.92
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	20805.16	22715.27	27681.23	9.18	21.86
3	करेतर राजस्व	7000.22	8139.06	6758.86	16.27	-16.96
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	12040.20	15714.15	30063.19	30.51	91.31
5	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	8535.44	12380.96	13089.33	45.05	5.72
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	73.12	107.68	122.35	47.26	13.62
7	शुद्ध लोक ऋण	5207.22	10750.28	10775.98	106.45	0.24
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	3255.10	1523.00	2191.00	-53.21	43.86
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	78962.72	92878.12	116582.49	17.62	25.52
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	62968.53	73623.33	99015.31	16.92	34.49
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	44619.20	50172.26	61980.30	12.45	23.53
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	18349.33	23451.07	37035.01	27.80	57.92
10.3	राजस्व व्यय : - जिसमें					
10.3.1	व्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	5573.74	6356.11	6929.48	14.04	9.02
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	24294.03	29591.37	46274.66	21.81	56.38
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	17044.45	20527.62	26177.62	20.44	27.52
10.3.4	पेंशन संदाय	4946.79	6010.85	6334.33	21.51	5.38
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	11566.89	12444.92	14141.86	7.59	13.64
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	23.91	119.79	69.29	401.00	-42.16
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	11542.98	12325.13	14072.57	6.78	14.18
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	5385.27	6165.44	3883.82	14.49	-37.01
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	3849.15	3090.85	715.65	-19.70	-76.85
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	1536.12	3074.59	3168.17	100.15	3.04
13	कुल व्यय	79920.69	92233.69	117040.99	15.41	26.90
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	48492.26	53382.90	62765.24	10.09	17.58
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	31428.43	38850.79	54275.75	23.62	39.70
14	राजस्व आधिक्य (1-10)	7458.75	6873.83	4477.85	-7.84	-34.86
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	9420.29	11628.85	13425.48	23.44	15.45
16	प्राथमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)	3846.55	5272.74	6496.00	37.08	23.20

प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर बनाया गया है एवं तदनुसार ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के मान से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2010-11 के लिये 3.43 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2011-12 से इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत किया गया है। आगामी वर्षों में भी तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत की सीमा में रखा जायेगा। इसके साथ ही तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जायेगा।

क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2012-13	पुनरीक्षित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.06	1.75	1.00	1.05	1.08	1.08
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.60	2.97	2.98	2.99	2.99	2.99
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	26.18	27.55	26.98	26.69	26.44	26.22
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	21.39	22.69	22.37	22.61	22.82	23.00

टिप्पणी - राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिये कुल परादेय ऋण उक्त वर्ष के लिये प्राक्कलित जी.एस.डी.पी. के क्रमशः 37.6 प्रतिशत, 36.30 प्रतिशत, 36.00 प्रतिशत तथा 35.30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :

वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र से सहायता अनुदान की वह राशि भी सम्मिलित है जो अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न विभागों/संस्थाओं को सीधे हस्तांतरित की जाती थी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नवीन व्यवस्था अन्तर्गत यह राशि वर्ष 2014-15 से राज्य की संचित निधि में प्राप्त होगी। उपर्युक्त व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य वर्ष 2014-15 की कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि अनुमानित है।

- (क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा ₹ 27681.23 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 38989.88 करोड़ है।
- (ख) करेतर राजस्व - वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व ₹ 6758.86 करोड़ अनुमानित है। यह राशि वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 8139.06 करोड़ से कम है। कमी का मुख्य कारण सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त राशि के वर्गीकरण में परिवर्तन होना है।
- (ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2013-14 (पुनरीक्षित अनुमान) में 42.16 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2014-15 में यह अनुपात 37.67 प्रतिशत होने की संभावना है।
- (घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 10.11 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा 6.53 प्रतिशत होने की संभावना है।
- (2) पूंजीगत प्राप्तियाँ : वर्ष 2014-15 में पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹ 13089.33 करोड़ होने की संभावना है जो वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान से 5.72 प्रतिशत अधिक है। संबंधित वर्ष में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा उस समय प्रचलित ब्याज दर के आधार पर नए ऋणों का समूह (Portfolio) निर्धारित किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में ऋणों का समूह (Portfolio) निम्नानुसार रहेगा -

(क) **केन्द्र से उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 2656.71 करोड़ केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है।

(ख) **राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां-**

राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है परन्तु इस मद में राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर 50 प्रतिशत ऋण अनिवार्यतः लेना पडता है। इस मद में वर्ष 2013-14 का पुनरीक्षित अनुमान ₹1400 करोड़ है। वर्ष 2014-15 में इस मद में ₹ 1600 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - 31 मार्च 2013 की स्थिति में राज्य के ₹27088.10 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग बिजली परियोजनाओं के लिए दिये गये कर्ज का बकाया ₹ 21917.11 करोड़ है। स्थानीय निकायों को दिये गये कर्ज ₹ 1792.88 करोड़ भी बकाया हैं।

(घ) **बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से उधार** - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 बजट अनुमान ₹ 11650.00 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान ₹ 10388.77 करोड़ है। वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 10346.29 करोड़ की राशि बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है। आगे के वर्षों में यह राशि राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है। नाबार्ड, हुडको, एल. आई. सी. जैसे अन्य संस्थानों से लिये जाने वाले उधार परियोजना-आधारित हैं और समग्र उधार कार्यक्रम का ही भाग है।

(ड) **अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि** — राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

(च) **बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व** — वर्ष 2012-13 के लेखा अनुसार मार्च 2013 की समाप्ति पर सकल शेष ऋण ₹ 66577.14 करोड़ है। लोक लेखा एवं राज्य के अन्य दायित्वों के साथ-साथ राज्य सरकार की जोखिम अधिमान प्रत्याभूति को जोड़कर यह राशि ₹ 94734.86 करोड़ होती है। मार्च, 2014 की स्थिति में यह ₹108008.08 करोड़ होना अनुमानित है।

(3) **कुल व्यय :**

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय ₹ 37047.91 करोड़ एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 61965.90 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2014-15 के पश्चात आयोजना राजस्व व्यय में 15.00 प्रतिशत तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 14.25(वर्ष 2015-16) एवं 15.50 (2016-17) प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित की गई है। वर्ष 2017-18 में वेतन में संभावित वृद्धि के कारण आयोजनेतर राजस्व व्यय में 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में केन्द्र से सहायता अनुदान की वह राशि भी सम्मिलित है जो अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न विभागों/संस्थाओं को सीधे हस्तांतरित की जाती थी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नवीन व्यवस्था अन्तर्गत यह राशि वर्ष 2014-15 से राज्य की संचित निधि में प्राप्त होगी। उपर्युक्त व्यवस्था के फलस्वरूप वर्ष 2014-15 में व्यय के विभिन्न घटकों (मुख्य रूप से अनुदान/सब्सिडी) में वृद्धि अनुमानित है।

(क) **राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय तथा अनुदान शामिल है।

(एक) **ब्याज संदाय** - वर्ष 2013-14 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 8.56 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर देयताओं के पूर्वानुमान तैयार किये गये हैं।

(दो) **अनुदान (सब्सिडी)** - वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में 56.38 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

(तीन) **वेतन** - वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 20.44 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 27.52 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

(चार) **पेंशन** - पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में भी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के अनुसार वृद्धि किये जाने के कारण से इस मद अन्तर्गत व्यय में वृद्धि जारी है। वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में 21.51 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में इस मद में वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान से 5.38 प्रतिशत अधिक व्यय होना अनुमानित है। बाद के वर्षों में इस मद में 17 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

(ख) **पूंजीगत लेखा** -

(एक) **उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में उधार तथा अग्रिम मद में 4.53 प्रतिशत की कमी हुई है।

(दो) **पूंजीगत परिव्यय** - राज्य के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पूंजीगत परिव्यय सकल राज्यघरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत होना तथा वर्ष 2014-15 में 4.01 प्रतिशत संभावित है। आधारभूत क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

(4) **राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वृद्धि :**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 के दौरान चालू मूल्यों पर औसतन 16.32 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में भारत सरकार द्वारा सूचित जी.एस.डी.पी. के आंकड़े लिये गये हैं तथा उसके पश्चात इसमें 14.00 प्रतिशत की औसत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है। समावेशी आर्थिक विकास की अवधारणा को पूर्ण करने हेतु जी.एस.डी.पी. में वृद्धि को और तीव्र करना आवश्यक है तथा राजकोषीय नीति का यह प्रमुख लक्ष्य है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजकोषीय नीति अग्रसर है।

(ग) **संवहनीयता का निर्धारण :**

(1) **सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 14.45 प्रतिशत है तथा वर्ष 2014-15 में इसके 14.82 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2013-14 में स्वयं के कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 8.65 प्रतिशत है और

यह वर्ष 2014-15 में 8.67 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2013-14 के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जीएसडीपी से अनुपात 5.79 प्रतिशत है और यह वर्ष 2014-15 में 6.15 प्रतिशत संभावित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

वर्ष 2012-13 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.91 प्रतिशत था जो वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान में घट कर 7.90 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में यह अनुपात 6.70 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 15 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है।

वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल परादेय ऋण का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 22.69 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2014-15 में 22.37 रहने की संभावना है। वर्ष 2017-18 तक यह अनुपात बढ़कर 23.00 प्रतिशत तक हो जाना संभावित है।

- (2) आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2012-13 की तुलना में वेतन मद में 20.44 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2014-15 के लिये वेतन मद में बजट अनुमान में वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 27.52 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋण के समूह (Portfolio) के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2012-13 की तुलना में 14.04 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2013-14 के

पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 9.02 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय में वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 में 23.53 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 14.50 से 18.00 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

(3) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये बाजार के उधारों सहित पूंजीगत प्राप्तियों

का उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार नौवें वर्ष भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है। वर्ष 2004-05 से सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(4) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - पेंशन भुगतान में वृद्धि की

प्रवृत्ति की गणना विगत 5 वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार की गई है। तदनुसार, पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

वर्ष	₹ करोड में
2008-09	2433.05
2009-10	3077.18
2010-11	3766.52
2011-12	4388.91
2012-13	4946.79
2013-14	6010.85
2014-15	6334.33
2015-16	7411.17
2016-17	8671.06
2017-18	10145.15
2018-19	11869.82
2019-20	13887.69
2020-21	16248.60
2021-22	19010.86
2022-23	22242.70
2023-24	26023.96

टीप:- वर्ष 2008-09 से 2012-13 के आंकड़े वास्तविक लेखा, वर्ष 2013-14 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2014-15 के आंकड़े बजट अनुमान के आधार पर हैं।

वर्ष 2014-15 में पेंशन मद में रूपये ₹ 6334.33 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2015-16 एवं आगामी वर्षों में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित करते हुए गणना की गई है।

प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

- (1) **राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :** राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बजट अनुमान से कम प्राप्त हुआ है। पूर्व वर्षों में ऋणों की अदला बदली तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है। इससे तथा ऋणों को निर्धारित सीमाओं में रखने के कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है।

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में 28.57 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2012-13 की तुलना में 10.94 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान से 14.92 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2012-13 की तुलना में 11.90 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 23.53 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2014-15 के आयोजनेतर राजस्व व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत प्रदान की जा रही अनुदान राशि में वृद्धि

के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को मंहगाई भत्ते/राहत की अतिरिक्त किश्त एवं बकाया एरियर्स की राशि दिया जाना है। परिणामतः राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान ₹ 5214.83 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹ 4477.85 करोड़ अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा ₹ 13425.48 करोड़ अनुमानित है। यह राजकोषीय संकेतक मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित)-2011 अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में रहने की संभावना है।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा।

(i) कर नीति : राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत् है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कई वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय किये गये हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर संग्रहण क्षमता बढ़ी है तथा आगामी वर्षों में इसमें और अधिक वृद्धि की अपेक्षा है।

(ii) व्यय नीति : प्रभावशीलता, उत्तरदायित्व, औचित्य तथा समयबद्धता, वे चार आधारभूत नियम हैं, जो लोक व्यय प्रबंधन का आधार हैं। इसके लिए एकीकृत वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जा रहा है, जो कि शीघ्र ही कोषालयों तथा अन्य विभागों की प्राप्ति/आहरण प्रणालियों को एक नेटवर्क के तहत ले आयेगा। केन्द्र सरकार में प्रचलित वित्तीय सलाहकार प्रणाली को भी लागू किया जा रहा है जिससे सभी विभागों में व्यय प्रबंधन के आधारभूत नियमों में एकरूपता लायी जाकर, उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके।

योजनागत राशियों के समयबद्ध एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल, 2010 से आयोजना मदों अन्तर्गत व्यय की त्रैमासिक व्यवस्था लागू की

गई है । राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्थायें निम्नानुसार हैं-

(क) परिणामी बजट : - वर्ष 2006-07 से परिणामी बजट तैयार किये जाकर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में वर्ष 2014-15 के परिणामी बजट प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिसमें परिणामों को आंकलित करने वाले मापनीय उत्पाद (Quantifiable Deliverables) के रूप में परिणामों (Outcomes) को दर्शाया जाता है।

(ख) जेण्डर बजट : - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2007-08 से प्रतिवर्ष मुख्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2014-15 हेतु भी जेण्डर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) गैर बजटीय प्राक्कलन (Off budget estimates) : - केन्द्र सरकार से संबंधित विभागों/एजेंसियों को सीधे प्राप्त होने वाली राशि वर्ष 2014-15 से बजट के माध्यम से ही उपलब्ध होंगी अतएव वित्तीय वर्ष 2014-15 से इस प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं रह गई है।

(घ) कृषि बजट : - वित्तीय वर्ष 2012-13 में कृषि से संबंधित मुख्य मांगों (जो किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सिंचाई, नर्मदा घाटी, पशुपालन एवं डेयरी, मछली पालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सहकारिकता विभागों से संबंधित हैं) एवं अन्य विभागों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ हेतु रखे जाने वाले

बजट प्रावधानों को संकलित कर एक पृथक खंड के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया गया। इस अनुक्रम में वर्ष 2014-15 के लिये भी कृषि बजट तैयार किया गया है।

(इ.) एन्यूटी : प्रदेश के विकास व कल्याण के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही राशि के अतिरिक्त राज्य की अधोसंरचना विकास में जन-निजी भागीदारी अन्तर्गत एन्यूटी आधारित परियोजनाओं में निवेशित राशि की जानकारी बजट साहित्य के खण्ड-5 में संकलित कर वित्तीय वर्ष 2012-13 से तैयार की जा रही है जिसे वर्ष 2014-15 में भी प्रस्तुत किया गया है।

(iii) ऋण एवं आकस्मिक दायित्व : वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है।

(3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :

- (i)** राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय एवं राजस्व के संग्रहण से संबंधित होती है। राज्य शासन की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और उनके संग्रहण में और अधिक कसावट लाना है।
- (ii)** ऋण प्रक्रिया का मुख्य आधार ऋणों की लागत को कम करना रहा है। व्यय के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय एवं कृषि प्राथमिकता का क्षेत्र रहेगा।
- (iii)** राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करना तथा उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना लक्षित है।

(iv) इसी प्रकार राज्य सरकार की यह प्राथमिकता भी रहेगी कि राज्य में सड़कों का प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

(4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

(i) राज्य की राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास तथा राज्य के समस्त नागरिकों को विकास प्रक्रिया में जोड़ने का है।

(ii) कर की दरों को एक सीमा से अधिक बढ़ाना, राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों में करों के आधार को और बढ़ाने का प्रयास रहेगा।

(iii) कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर उच्च स्तर पर बनी रहे, इस हेतु विशेष ध्यान दिये जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

(5) नीति मूल्यांकन : मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सभी राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2012-13 के लेखा, वर्ष 2013-14 के बजट/पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक प्राक्कलित ट्रेंड/रूझानों के आधार पर तैयार किये गये हैं। उल्लेखित वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुमानों को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

प्ररूप एफ-4

(नियम 7 देखिये)

सिलेक्ट राजकोषीय सूचक

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2012-13	2013-14	2014-15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	2.60	2.97	2.98
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	79.18	59.11	33.35
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.06	1.75	1.00
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	10.59	8.54	4.33
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	26.18	27.55	26.98
6	कुल दायित्व -कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	134.51	134.18	117.28
7	कुल दायित्व -राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	309.78	318.34	311.30
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	48.57	46.08	39.38
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	179.95	160.04	134.26
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	7.91	7.90	6.70
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	24.20	25.50	25.29
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	7.02	7.47	6.12

प्ररूप एफ-5

(नियम 7 देखिये)

क.- राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2012-13 (लेखा)	2013-14 (पु.अ.)	2014-15 (ब.अ.)	2012-13 (लेखा)	2013-14 (पु.अ.)	2014-15 (ब.अ.)	2012-13 (लेखा)	2013-14 (पु.अ.)	2014-15 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	4500.00	10388.77	10346.29	1136.97	1428.22	2128.96	31407.01	40367.56	48584.88
2	केन्द्र से ऋण	1557.31	1623.31	2656.71	648.41	631.98	905.83	12267.81	13259.14	15010.02
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1439.24	1400.00	1600.00	714.26	750.00	750.00	16806.00	17456.00	18306.00
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	1294.61	1353.89	1349.98	1084.30	1205.49	1392.21	6096.32	6244.72	6202.49
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय/अधिविकर्षण	0.00	10.00	4000.00	0.00	10.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	296925.83	313773.73	287535.25	293670.67	312250.73	285344.25	25157.72	26680.66	28871.66
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	योग #	305716.99	328549.70	307488.23	297254.61	316276.42	294521.25	91734.86	104008.07	116975.06

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये ^		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2012-13	चालू वर्ष (पु.अ.) 2013-14	पूर्व वर्ष (लेखा) 2012-13	चालू वर्ष (पु.अ.) 2013-14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	8.69	9.40	8.05	8.20
2	केन्द्र से ऋण	परिवर्तनीय दर	परिवर्तनीय दर	8.39	8.39
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9.50	9.50	9.84	9.80
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	7.68	7.70	7.44	7.31
5	भा.रि.बैंक से अर्धोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	8.80	8.70	8.80	8.70
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल औसत दर *	8.77	9.15	8.54	8.56

राज्य सरकार के दायित्वों के घटक योग में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां रिस्क वेटेज के अनुसार वर्ष 2012-13 में रूपये 3000, वर्ष 2013-14 में रूपये 4000 एवं वर्ष 2014-15 में रूपये 4400 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

^1- अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई है।

2- औसत ब्याज दर की गणना में परिवर्तनीय दर पर प्राप्त ऋण सम्मिलित नहीं है

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2012-13	चालू वर्ष 2014-15
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	0	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

प्ररूप एफ-6

(नियम 7 देखिये)

संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टाक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टाक (प्रतिशत)
2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14	2013-14	2013-14	2013-14	2013-14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

प्ररूप - एफ - 7
(नियम 7 देखिये)
सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्टक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में) (31.3.2014 की स्थिति में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्तियों* के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
गृह विभाग (१)	1,98.80	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	1,61.24	अप्राप्त	अप्राप्त	
वित्त विभाग (१३)	7,93.29	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	4,93.23	अप्राप्त	अप्राप्त	
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग (२)	1,56.50	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	1,56.50	अप्राप्त	अप्राप्त	
ऊर्जा विभाग (४९)	1,03,80.32	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	37,14.32	अप्राप्त	अप्राप्त	
सहकारिता विभाग (५)	15,39.57	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	7,98.40	अप्राप्त	अप्राप्त	
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (८७)	24,83.59	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	5,99.15	अप्राप्त	अप्राप्त	
आदिम जाति कल्याण विभाग (२)	51.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	27.78	अप्राप्त	अप्राप्त	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (५)	43,00.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	38,46.81	अप्राप्त	अप्राप्त	
आवास और पर्यावरण विभाग (३)	79.18	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	11.12	अप्राप्त	अप्राप्त	
ग्रामोद्योग विभाग (१)	39.50	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	26.04	अप्राप्त	अप्राप्त	
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संयक कल्याण विभाग (३)	22.90	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	17.90	अप्राप्त	अप्राप्त	
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (३)	60.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	1,20.30	अप्राप्त	अप्राप्त	
वृहद योग	2,01,04.66						99,72.84			12.39%

* पुनरीक्षित अनुमान 2013-14

प्ररूप एफ-8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां 2012-13	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2012-13	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है 2013-14	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी 2013-14	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण 2013-14	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2013-14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	388.87	0.00	1.00	0.00	389.87

प्ररूप एफ-9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें	21742.39	5345.71	27088.10
	स्थानीय निकायों को ऋण	1690.84	101.84	1792.68
	विद्युत कंपनियों को ऋण	17359.84	4557.27	21917.11
	अन्य कंपनियों को ऋण	214.16	103.67	317.83
	अन्य ऋण	2477.55	582.93	3060.48
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)	13183.59	1472.91	14656.50
	अंशपूजी (शेयर)			
	बोनस शेयर			
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/ कोषालयीन बिलों में विनिधान	3.53	-3.28	0.25
4	14 दिन के इन्टरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान	6676.60	129.6	6806.20
5	अन्य वित्तीय विनिधान	--	--	--
6	योग	41606.1044	6944.94	48551.05

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

प्ररूप एफ-10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो अधिरोपित किया गया किन्तु वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	अविवादित राशि (₹ करोड़ में)	कुल योग (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	0.71	3.57	4.28
0028	आय तथा व्यय पर कर	0.26	3.07	3.33
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व *	0.06	5.89	5.94
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	32.67	52.64	85.31
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0039	राज्य आबकारी	5.25	67.11	72.36
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	290.77	200.78	491.56
0041	यानों पर कर	0.00	0.00	0.00
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.01	18.60	19.56
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क	161.15	23.98	185.13
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	463.76	23.91	487.67
0700-	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई	0.00	1088.72	1088.72
0701-	मध्यम, तथा	0.00	61.81	61.81
0702	लघु सिंचाई	0.00	850.00	850.00
0406	वन तथा वन्य जीव #	4.24	9.06	13.30
	योग	958.88	2409.14	3368.97

* कुल 13 जिलों की जानकारी पर आधारित

वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर

टिप - इस विवरण के अन्तर्गत राजस्व बकाया का विवरण दिया गया है।

प्ररूप एफ-11

(नियम 7 देखिये)

क राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	12021	2.73
2	5001 से 21000	352894	80.19
3	21001 से 37000	62293	14.15
4	37001 से 53000	8917	2.03
5	53001 से 65000	3218	0.73
6	65001 से 80000	702	0.16
7	80001 से अधिक	44	0.01
	योग	440089	100

ख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	127	13.31
2	2501 से 4300	404	42.35
3	4301 से 6100	178	18.66
4	6101 से 9700	184	19.29
5	9701 से 13300	40	4.19
6	13301 से 19300	16	1.68
7	19301 से अधिक	5	0.52
	योग	954	100

पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	800 तक	0	0.00
2	801 से 1000	0	0.00
3	1001 से 1400	0	0.00
4	1401 से 2000	2	25.00
5	2001 से 3500	6	75.00
6	3501 से 5000	0	0.00
7	5001 से अधिक	0	0.00
	योग	8	100

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 को स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	425	0.91
2	5001 से 21000	31515	67.40
3	21001 से 37000	12964	27.73
4	37001 से 53000	999	2.14
5	53001 से 65000	710	1.52
6	65001 से 80000	141	0.30
7	80001 से अधिक	2	0.00
	योग	46756	100

ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 को स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	188	10.71
2	2501 से 4300	573	32.65
3	4301 से 6100	494	28.15
4	6101 से 9700	367	20.91
5	9701 से 13300	107	6.10
6	13301 से 19300	25	1.42
7	19301 से अधिक	1	0.06
	योग	1755	100

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 को स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	800 तक	0	0.00
2	801 से 1000	245	52.46
3	1001 से 1400	4	0.86
4	1401 से 2000	0	0.00
5	2001 से 3500	200	42.83
6	3501 से 5000	15	3.21
7	5001 से अधिक	3	0.64
	योग	467	100

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	457	8.50
2	5001 से 21000	3951	73.47
3	21001 से 37000	869	16.16
4	37001 से 53000	82	1.52
5	53001 से 65000	12	0.22
6	65001 से 80000	7	0.13
7	80001 से अधिक	0	0.00
	योग	5378	100

घ. विश्वविद्यालयों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	1290	18.69
2	2501 से 4300	4545	65.85
3	4301 से 6100	463	6.71
4	6101 से 9700	393	5.69
5	9701 से 13300	171	2.48
6	13301 से 19300	36	0.52
7	19301 से अधिक	4	0.06
	योग	6902	100

ड- नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	27373	36.76
2	5001 से 21000	45081	60.53
3	21001 से 37000	1627	2.18
4	37001 से 53000	360	0.48
5	53001 से 65000	27	0.04
6	65001 से 80000	6	0.01
7	80001 से अधिक	0	0.00
	योग	74474	100

च विकास प्राधिकरणों में नियोजन

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	316	17.93
2	5001 से 21000	1235	70.09
3	21001 से 37000	174	9.88
4	37001 से 53000	37	2.10
5	53001 से 65000	0	0.00
6	65001 से 80000	0	0.00
7	80001 से अधिक	0	0.00
	योग	1762	100

छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

(31 मार्च 2013 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	66429	42.23
2	5001 से 21000	87613	55.69
3	21001 से 37000	2850	1.81
4	37001 से 53000	387	0.25
5	53001 से 65000	32	0.02
6	65001 से 80000	8	0.01
7	80001 से अधिक	1	0.00
	योग	157320	100